न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–328 / 2014 (2014 / 00092)75 / सरवाड़

1. जगदीश पुत्र देवा गुर्जर
2. छगना पुत्र देवा गुर्जर
3. नारायण पुत्र लादू जाति दरोगा
4. किशना पुत्र लादू जाति दरोगा
5. प्रहलाद पुत्र लादू जाति खाती
6. कैलाश पुत्र लादू जाति खाती
7. शिवराज पुत्र लादू जाति खाती
8. भागचन्द पुत्र लादू जाति खाती समस्त निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कालू पुत्र मेवा
2. लक्ष्मण पुत्र मेवा
3. राजू पुत्र मेवा
4. श्रीमती भूला बेवा मेवा
   समस्त जाति गुर्जर निवासी गोरधनपुरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. भू– आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष (एस.डी.ओ.सरवाड़)।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश भू–आवंटन सलाहकार समिति, सरवाड़ (कैम्प मु0 स्यार) आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992।

उपस्थितः–

1. श्री शंकर लाल चौधरी एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 3 से 04 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 05,06 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–26.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील भू–आवंटन सलाहकार समिति, सरवाड़ (कैम्प मु0 स्यार) आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु0 स्यार ने भू–आवंटन कैम्प मुख्यालय स्यार दिनांक 18.06.1992

को आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 5 बीघा का आवंटन मेवा पुत्र काना जाति गुर्जर के पक्ष मे किया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के पति थे। भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु.स्यार ने आवंटन करते समय इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गोरधनपुरा तहसील सरवाड़ में स्थित हैं जिसके खसरा नमबर 45 रकबा 5 बीघा है जिस पर आवटी का बरवक्त आवंटन व आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त नही था व पटवारी हल्का ने मिथ्या पूर्ण रिपोर्ट बनाकर आवंटी को आराजी पर काबिज काश्त बताते हुए उनके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कागजी आवंटन करा दिया। अपीलांट बरवक्त आवंटन के पूर्व से ही काबिज होकर आवंटन शुदा आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा कुछ आराजी पर पानी की टंकी बनी हुई तथा जानवरों के पानी पीने की टंकी बनी हुई हैं तथा गॉव में प्रवेश करने के लिए मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस प्रकार आवंटन शुदा आराजी के लगभग आधे हिस्से पर अपीलांटस का कब्जा काश्त लगभग 100 वर्षो से चला आ रहा हैं एवं आधा हिस्सा सार्वजनिक उपयोग हेतु काम आ रहा है। इस प्रकार भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु.स्यार द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992 से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3से 04 से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05, 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु.स्यार द्वारा आवंटन आदेश पारित करते समय इस बात पर गौर ध्यान नहीं दिया कि वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने उक्त आवंटनशुदा आराजी बाबत् एक राजस्ज वाद अन्तर्गत धारा 183, 92 ए, 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान अपीलांटस के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर रखा हैं जिसमें वादीगण ने अपने दावे में कथन अंकित किये है कि वादीगण के खातेदारी की आराजी में बाड़े बनाकर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर रखा हैं। वर्णित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 67/2012 बउनवानी भूला बनाम जगदीश से स्पष्ट साबित है कि आवंटनशुदा आराजी पर वर्तमान अपीलांटस का ही कब्जा चला आ रहा हैं। इस प्रकार जब आवंटनशुदा आराजी पर आवंटी का कभी भी कब्जा एवं काश्त ही नहीं रहा तो आवंटन आदेश किसी भी रूप से बहाल नही रखा जा सकता जैसा कि आर.आर.टी. 2005(1)पेज 83 में स्पष्ट किया कि –राजस्थान भू–राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1070 –राजस्व अपील अधिकारी ने अपील

स्वीकार की और आवंटन आदेश निरस्त किया – किसी भी वर्ष की खसरा गिरदावरी में फसल दर्ज नहीं है तथा न ही लगान का भुगतान साबित हुआ भमि किसी भी वर्ष में काश्त करना साबित नहीं हुआ। आवंटी का आवंटित भूमि पर 2 वर्षो तक काश्त करना आवश्यक हैं । वादग्रस्त आराजी को आवंटन करते समय उद्घोषण जारी नहीं की गई तथा गुपचुप तरीके से आवंटन कर दिया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी को आवंटन/नियमन कराने के अधिकारी अपीलांटस हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जावें तथा भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु.स्यार द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992 जो मेवा पुत्र काना के पक्ष में किया गया उसे निरस्त किया जावें तथा वादग्रस्त आराजी के कब्जेशुदा भाग को अपीला।टस एवं शेष भाग को ग्रामवासियान के उपयोग उपभोग हेतु नियमन किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को सिफारिश किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 3से 04 ने दौराने जवाब अपील में निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही आवंटन किया गया हैं। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच पश्चात भूमि का आवंटन किया गया। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन भी गलत है कि रेस्पोडेन्टस के पक्ष में आवंटित भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि हैं तथा एक टंकी भी बनी हुई जिसमें ग्रामवासियो के जानवर पानी पीते हैं। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे यह परिभाषित है कि यथा नदी,नाला, झील, तालाब, चारागाह अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि के पास ना तो रास्ता हैं ना ही इसका उपयोग सावर्जजनिक रूप से कर रहे है। नियम 14 (4) के अन्तर्गत के केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो गलत रूप से कोई तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो। अपीलांटस केवल रेस्पोडेन्टस को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से ही यह अपील प्रस्तुत की है। कुछ अपीलांट ने हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हैं इसलिए उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आवंटन नियम विरूद्ध होने या फर्जी होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

6. प्रकरण में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992 की जानकारी अपीलांट को नही थी तथा आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की हैं जिसमें सभी का हित निहित हैं इसलिए न्यायालय ने अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया गया एव ंना ही प्रार्थना पत्र पर अपनी

अपनी कोई आपत्ति जाहीर की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता हैं तथा अपीलांटस को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती हैं।

7. प्रकरण में अपीलांट द्धारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की हैं तथा अवधि मध्य मानी जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र /शपथ पत्र प्रस्तुत किया का उल्लेख किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट पक्षकार नही होने एवम् अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपीलांटस को उक्त आवंटन की जानकारी होने पर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अपील दायर करने में हुई विलम्ब का कारण सद्भाविक है अतः न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मयाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर मियाद किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपना जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण सद्भाविक होने से अपीलांट द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर, अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा मौके रिपोर्ट दिनांक 05.12.2012 अनुसार ही भू–आवंटन सलाकार समिति ने विधि सम्मत आवंटन किया हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट बनाते समय अपीलांटस स्वंय वहॉ उपस्थित थे। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात किया गया हैं। आवंटन से पूर्व सार्वजनिक उद्धघोषण जारी की गई है। आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर निमानुसार प्रार्थना पत्र आंमत्रित कर जॉच करने पश्चात भूमि का आवंटन किया गया तथा यह भी माना कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को आवंटित भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में परिभाषित भूमि नहीं हैं। हमारे विचार से नियम 14 के उपनियम (4) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आवंटन निरस्त करने के लिए केवल तीन आधार अंकित किये गये हैं, प्रथम आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन छल अथवा मिथ्या व्यपदेसन (misrepresentation) से प्राप्त किया हों, दूसरा आधार यह है कि– आवंटन नियम विरूद्ध किया गया हों एवं तीसरा आधार यह है कि–आवंटी ने आवंटन शर्तो की अवहेलना की हों। विपक्षीगण ने जो आवेदन पत्र दिया उसमें ऐसा प्रकट नहीं किया कि छल अथवा व्यपदेसन (misrepresentation) से आवंटन कराया गया हों तथा किसी भी आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की अवहेलना की जाती है तो उसे इस आशय का नोटिस देना चाहिए और किस–किस आवंटी

ने किस प्रकार आवंटन शर्तो की अवहेलना की, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। इस प्रकार भू– आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश में हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा भू–आवंटन सलाहकार समिति कैम्प मु.स्यार द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1992 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर